न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 113/2008
तारीख दायर : 04.06.2008

अनवान

1. राधेश्याम आगाल पिता मोहनलाल आगाल निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

वादी....

बनाम

1. लक्ष्मण पिता श्रीराम जाति जाट निवासी रानीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

प्रतिवादी....

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता वादी)

वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.12.2022

वादी राधेश्याम द्वारा एक वादपत्र मोजा बिगोद स्थित कृषि भूमि के बावत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रतिवादी के विरूद्व गया। लाया गया जिसके बाद जांच सिगे रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये एवम प्रतिवादी की तलबी का सम्मन मय वादपत्र की नकल के भिजवाया गया।

वादपत्र के अनुसार मौजा बिगोद प.ह. बीगोद तहसील माण्डलगढ स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख.न. 761 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ख.न. 762 रकबा 12 बिस्वा ख.न. 763 रकबा 1 बीघा, ख.न. 764 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ख.न. 765 रकबा 16 बिस्वा आ.न. 766 रकबा 10 बिस्वा ख.न. 767 रकबा 7 बिस्वा ख.न. 768 रकबा 5 बिस्वा ख.न. 769 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ख.न. 770 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ख.न. 771 रकबा 17 बिस्वा, ख.न. 772 रकबा 16 बिस्वा ख.न. 773 रकबा 18 बिस्वा ख.न. 774 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ख.न. 775 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 15 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा जिसको फकीरो का कुवे वाला नाम से भी जानते है। जिसे वादी एवम नाथूलाल पुत्र मोहनलाल आगाल द्वारा संयुक्त रूप से क्रय किया गया था उक्त कृषि भूमि को पारिवारिक बटवाडा दिनांक 30.04.1985 से वादी के हिस्से मे दिया गया। जिस पर पारिवारिक बटवारे के पश्चात से वादी के वादग्रस्त भूमि पर जरिये काश्त के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है जिसको 25 वर्ष निरन्तरण बिना किसी हस्तक्षेप वादी काश्त करवा रहा है।

वादग्रस्त जायदाद के सह खातेदार वादी के भाई नाथूलाल पुत्र स्व. मोहनलाल आगाल पारिवारिक समझोते के बावजूद उसके नाम पर दर्ज 1/2 हिस्से को प्रतिवादी लक्ष्मण जाट को विक्रय कर दिया जबकी पारिवारिक बटवाडा जो आपसी सहमति से पारिवारिक सदस्यों के हस्ताक्षरित है जिस पर नाथूलाल के भी हस्ताक्षर है नाथूलाल ने पारिवारिक बटवाने से कब्जे में आयी सम्पति पर काबिज हो गया। पारिवारिक बटवाडा दिनांक 30.04.1985 की क्रियान्वती हो चुकने के बावजूद नाथूलाल के नाम राजस्व अभिलेखो मे उसका 1/2 हिस्सा दर्ज होने से उसने अपना 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2008 के प्रतिवादी लक्ष्मण पुत्र श्रीराम जाट निवासी रानीखेडा को नाथूलाल आगाल का कब्जा नहीं होते हुये वादी की बिना जानकारी होने दिये चुपचाप तरिक्के से विक्रय कर दी।

क्रेता लक्ष्मण पुत्र श्रीराम जाट ने पारिवारिक समझोते के विपरित क्रय किये गये वादग्रस्त जायदाद के 1/2 हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने रोका किन्तु प्रतिवादी लक्ष्मण नही माना वादी ने दिनांक 23.05.2008 को प्रतिवादी को कब्जा करने से रोका किन्तु नही माना इसलिए बादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी ने न्यायालय में अपने अभिभाषक देवेन्द्र कुमार पोरवाल के माध्यम से दिनांक 04.08.
008 को अधिकार पत्र पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग ली, परन्तु अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु कई
वसर दिये गये। दिनांक 27.07.2010 को प्रतिवादी एवम उसके अभिभाषक उपस्थित नही हुये न ही
कोई जवाब दावा पेश किया गया इसलिए प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षिय आदेश पारित किये गये।

वादपत्र मे प्रतिवादी का जवाब नही आने से तनकीयात कायम नही की गयी। पत्रावली को साक्ष्य वादी मे लगाया गया। वादी ने पी.डबल्यू 1. राधेश्याम वादी एवम पी. डब्ल्यू 2. गणेशलाल अपने सिजारी के बयान करवाये। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में पारिवारिक बटवाडे की लिखतम की प्रमाणित प्रति खातेदारी जमीन की जमाबन्दी प्रतिवादी को नाथूलाल द्वारा किये गये विक्रय की प्रमाणित प्रति दिनांक 22.04.2008 आपसी इकरार की प्रमाणित प्रति पेश की। नाथूलाल आगाल द्वारा वादी के पक्ष मे निष्पादित पॉवर ऑफ अटार्नी जिसके द्वारा वादी को बटवाडे में दी गयी सम्पति बाबत कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये। पी.डब्ल्यू 1. राधेश्याम वादी ने सशपथ कथन किया कि उनकी पारिवारिक सम्पति के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि जो वादी एवम उसके भाई नाथूलाल ने सामलात में क्रय की थी पारिवारिक बटवाडे दिनांक 30.04.1985 मे नाथूलाल सहकाश्तकार ने अपना 1/2 हिस्सा छोडते हुये कुलिया मोजा बिगोद स्थित कृषि खातेदार भूमि रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा कब्जे सहित वादी को दे दी पारिवारिक बटवाडे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 होकर इसमे सम्पूर्ण वादग्रस्त जायदाद को बादी को बटवाडे में दिये जाने का विवरण है वादग्रस्त जायदाद से सम्बन्धित जमाबन्दी प्रदर्श दो है। वादग्रस्त कुलिया जायदाद वादी के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। नाथूलाल आगाल से सह खातेदार ने जमाबन्दी मे उसके दर्ज 1/2 हिस्से को पारिवारिक बटवाडे से वादी को दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी को जरिये प्रदर्श 3 के बिना अधिकार व कब्जे के विक्रय कर दिया। नाथूलाल व वादी के विक्रय से पूर्व बीच विवाद होने पर एक अलग से इकरारनामा लिखा गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 है इस प्रकार में वादी का वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा होना स्वीकार किया हुआ है नाथूलाल ने बादी के हिस्से में बटवाडे से दी गयी वादग्रस्त जायदाद की कार्यवाही हेतु पॉवर अटार्नी दी जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5 है।

प्रतिवादी द्वारा अवेध रूप से नाथूलाल आगाल से क्रय उसके 1/2 हिस्से के आधार पर कब्जा करने का प्रयास किया किन्तु वह दिनांक 23.05.2008 को वादी की मना करने के बावजूद कब्जा करना चाह रहा है। वादी का प्रतिवादी को कानून हाथ मे ले हटाने का अधिकार नही है। प्रतिवादी कभी भी वादी को वैदखल कर सकता है। उसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जावे। वादी स्वय 1/2 हिस्से का खातेदार है प्रतिवादी क्रेता बाहरी व्यक्ति है।

पी.डब्ल्यू 1. राधेश्याम द्वारा पी. डब्ल्यू 2. गणेशलाल के बयान करवाये गये जिसने अपने को राधेश्याम का सिजारी होना व वादग्रस्त कुलिया जायदाद पर राधेश्याम का जरिये काश्त के कब्जा होने का कथन किया। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य बन्द करने के पश्चात पत्रावली बहस के लिये लगायी गयी।

वादी के अभिभाषक ने अपनी बहस में वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो जिन पर प्रर्दश लगाये उनका अवलोकन करा व वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य बाबत न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया कि वादी ने वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा होना सिद्ध जो वादी एवम उसके गवाह से साबित करवाया है साथ प्रस्तुत पारिवारिक बटवाडा दिनांक 30.04.1985 से वादग्रस्त जायदाद वादी के कब्जे मे आना भी सिद्ध करवाया है। वादी ने जो जमाबन्दी पेश की इसमे भी वादग्रस्त जायदाद वादी के उसके भाई नाथूलाल के सामलाती खाते में दर्ज हो रखी है। पारिवारिक बटवाने के पश्चात वादी के कब्जे में आयी कुलिया कृषि मे से नाथूलाल पारिवारिक बटवाडे की पालना केवल कृषि भूमि बाबत नहीं कर अपना हिस्सा जरिये अवैध विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2008 से प्रतिवादी को विक्रय कर दिया जबकि कुलिया जायदाद वादी के ही भुगत भोग मे जरिये काश्त के चली आ रही थी। नाथूलाल आगाल पारिवारिक बटवाडे मे उसे दी गयी जायदाद पर काबिज हो गया। और पारिवारिक बटवाडे की कियान्वती हो जाने के बावजूद नाथूलाल ने बिना कब्जे मे होते

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

हुये प्रतिवादी को वादग्रस्त जायदाद का 1/2 हिस्सा विकय किया जो किसी प्रकार से भी वैध नही है। वादी का आज भी वादग्रस्त जायदाद पर जरिये काश्त के कब्जा है।

प्रतिवादी ने वादी के वाद का कोई प्रतिवाद नही किया न ही जवाब दावा पेश किया न उसका कब्जा हो जाने का दस्तावेजी सबूत पेश किया है।

वादी की ओर से न्यायिक उदहरण– आर. आर. डी 1973 पेज 714 पेश की, जिसके अनुसार बलपूर्वक निष्कासन जबरन बेदखली के विरूद्ध कब्जे की रक्षा करनी होगी जो (कब्जा) विधि में नवमांश होता है न्यायालय का यह बाध्यता पूर्वक कर्तव्य है कि वह ऐसा अनुतोष प्रदान करे जो यदि नहीं दिया जाय तो अनावश्यक संविवाद (मुकदजे बाजी) की बहुलता हो जायगी।

वादी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध अनुतोष अनुसार डिकी फरमाया जावे।

न्यायालय के समक्ष की गयी बहस प्रस्तुत दस्तावेजो व वादी की साक्ष्य पर ध्यान अध्ययन एवम मनन किया गया एवं इस निष्कर्ष पर पंहुचा कि वादी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30.04.1985 का इकरारनामा एवं दिनांक 25.09.1993 का इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है, जो कि पारिवारिक समझौता पत्र है। उक्त दोनों समझौते अपंजीकृत है, जबकि 100 रूप्ये से अधिक को सम्पति में यदि कोई अधिकार सृजित होता है, तो पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(B) के अनुसार उसका पंजीयन होना आवश्यक है। जोत के विभाजन के लिये आपसी समझौता यदि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार नही है, तो वह अवैध है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 के अनुसार कोई भी तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात् ही लागू होगा। अतः हमारी राय में दोनों यमझौता पत्र नियमानुसार ग्राहय नही है। किन्तु भूमि अपरिचित व्यक्ति द्वारा खरीदी गई है एवं मूलवाद से भी यही अनुतोष चाहा गया है। ऐसे अनैक न्यायिक दृष्टान्त है कि अपरिचित व्यक्ति द्वारा भूमि खरीद लिये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 92 (क) के तहत बेदखली के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त नाथूलाल का कब्जा नही होते हुये प्रतिवादी लक्ष्मण को बेची जिसने न वाद का जवाब दिया न अपना कब्जा होना जाना साक्ष्य से साबित करवाया। प्रतिवादी को यह अधिकार नहीं है कि वह बादी कानून हाथ में जबरन उसकी बैदखली करे वादी की ओर से जो न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किया वह वादी के मामले में लागू होता है। वादी ने अपना कब्जा होना भी प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से साबित करवाया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण पत्रावली पर नही है। वादी सहखातेदार के रूप मे वादग्रस्त जायदाद मे खातेदार दर्ज है।

अतः वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है वह प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता कि वह मोजा बीगोद स्थित कृषि खातेदारी भूमि 761 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा खसरा संख्या 762 रकबा 12 बिस्वा ख.न. 763 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 764 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ख.न. 765 रकबा 16 बिस्वा, आ.नं. 766 रकबा 10 बिस्वा ख.न. 767 रकबा 7 बिस्वा ख.न. 768 रकबा 5 बिस्वा, आ.न. 769 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ख.न. 770 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा, ख.न. 771 रकबा 17 बिस्वा ख0न0 772 रकबा 16 बिस्वा ख.न. 773 रकबा 18 बिस्वा ख.न. 774 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ख.न. 775 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 15 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा पर के किसी भाग से बिना विधिक् प्रक्रिया अपनाये वादी का कब्जा नही हटाये उसे काश्त करने से नही रोके, ना ही कानून हाथ मे ले जबरन बेदखल नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner